

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12697 / 3397

दिनांक :- 31/07/19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका बारिया [लिंक न. 12697] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, अजमेर - [22741] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 27/11/2017 से 15/12/2017 तक 19 दिवस

कुल 19 दिवस

उक्त कुल 19 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका बारिया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

✓ 1,
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12697 / 3397

दिनांक :- 31/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका बारिया [12697] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

↓
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)